न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 13 सन 2019

अनवान :–

1. अमरसिह पुत्र कानाराम जाति मेधवाल निवासी भगवानसर बास तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. कानाराम पुत्र बीरबल जाति मेधवाल निवासी भगवानसर बास तहसील नोहर।
2. मैनजर भारतीय स्टेट बैक शाखा गोरखाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादीगण

4. पूर्णाराम पुत्र कानाराम जाति मेध्वाल निवासी भगवानसर बास तहसील नोहर।
5. मायादेवी पुत्री कानाराम जाति मेधवाल निवासी भगवानसर बास तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 08.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 26/186–30 के खसरा न0 272/1 की 1.9090हैक खसरा न0 274/1 की 3.6670हैक कुल 5.576हैक व बास नाथोवाला के खाता संख्या 17/30 के खसरा न0 268/2 की 2.0860हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर दर्ज हुई है एवं वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिन्होने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है। उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 4 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 , 4 ता 5 ने काश्त की सुविधा के मध्यजनर आपसी सहमति से परिवारिक समझौता कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ,5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की बाहमी विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 4 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 26/186–30 के खसरा न0 272/1 की 1.9090हैक ,274/1 की 3.6670हैक कुल 5.576हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता संख्या 17/30 के खसरा न0 268/2 की 2.0860हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official